

जैसलमेर : सैकड़ों मृत गौवंश के मामले में आयुक्त पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप

जैसलमेर में नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड में सैकड़ों मृत गौवंश मिलने के मामले ने तूल पकड़ा

जैसलमेर, (निसं)। जैसलमेर में नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड में सैकड़ों मृत गौवंश मिलने का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ चुका है। इस मामले को उजागर करने वाले करणी सेवा संस्थान से जुड़े हाकमदान का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से पहले कई बार नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा को शिकायत दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उन्हें पूरा मामला सार्वजनिक करना पड़ा।

डंपिंग यार्ड में मृत गायों के खुले में पड़े रहने, सड़ांध फैलने और कुत्तों द्वारा शवों को नोचे जाने के वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गौ संरक्षण के दावों की पोल खोलने वाला मामला है। करणी सेवा संस्थान के हाकमदान ने कहा कि हमने कई बार नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह को मौखिक

■ **करणी सेवा संस्थान से जुड़े हाकमदान का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से पहले कई बार नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा को शिकायत दी गई थी**

■ **'मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, मजबूर होकर उन्हें पूरा मामला सार्वजनिक करना पड़ा'**

■ **मामले में साधु-संतों ने भी नाराजगी जताई है, मुस्लिम समाज ने ईद के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने तथा हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की**

और लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब स्थिति असहनीय हो गई तब वीडियो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो मामला इतना भयावह नहीं बनता। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष ने राज्य सरकार को धेरते हुए जवाबदेही तय करने की मांग

की है। साधु-संतों ने भी नाराजगी जताई है, जबकि मुस्लिम समाज ने ईद के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने तथा हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। घटना सिर्फ एक डंपिंग यार्ड की नहीं, बल्कि पशु संरक्षण, नगर निकायों की जवाबदेही और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े

कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती तो यह मामला राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं बनता।

लालू सिंह सोढा, बजरंग दल नेता ने बताया कि गौवंश के शवों का खुले में पड़ा होना बेहद चिंताजनक है। इससे गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरधरसिंह सोढा ने बताया कि गुनाहगार खुद नगर परिषद जैसलमेर आयुक्त महोदय है कितना बड़ा कमीशन लेता है आप सोच भी नहीं सकते हैं और बलि का बकरा ठेकेदार को बनाया गया क्यों फिर नगर परिषद जैसलमेर के अधिकारी लोगों का कोई रोल नहीं है, फिर कमीशन खाते हैं तो अधिकारी लोगों को भी भुगताना चाहिए।

शहर के वरिष्ठ नागरिक चम्पालाल ने बताया कि आयुक्त लजपालसिंह भूखंड को घरेलू से व्यवसायिक करवाने के दलाल के जरिए 20 लाख रुपए लेकर फाइल

स्वीकृत कर रहे हैं। भूखंड के पास स्टेप लैंड स्वीकृत हेतु 7 लाख ले रहे हैं। जनता भ्रष्ट आयुक्त से दुखी है, राज्य सरकार मौन है, उसी का नतीजा है गौधन कांड। भाजपा दिल्ली सरकार को आयुक्त लजपालसिंह के कार्यकाल के फैसलों की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाकर दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहिए अन्यथा भाजपा की साख को नुकसान पहुंचेगा। नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए मृत पशुओं के निस्तारण का ठेका संभाल रहे ठेकेदार गोपाराम मेघवाल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। कारण बताया नोटिस जारी कर ठेका निरस्त कर दिया और धरोहर राशि भी जब्त की गई। इसके बाद जेसीबी मशीनों से गड़े खुदवाकर मृत पशुओं को दफनाने का काम शुरू किया गया। जांच में कई शव एक से डेढ़ महीने पुराने पाए गए।

‘भारत-पाक बॉर्डर के 15 किमी. दायरे में अवैध निर्माण जमींदोज होंगे’

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में सुरक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए



केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीकानेर में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की सुरक्षा बैठक करी।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर/बीकानेर । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीकानेर में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की सुरक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत-पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स को और मजबूत करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे प्रत्येक जिले में 15 कि.मी. के दायरे में सभी अवैध निर्माण जमींदोज किए जाएं।

अमित शाह ने प्रदेश में घुसपैठ, नारकोटिक्स तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवादी फंडिंग और अन्य सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए कहा। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल

■ **अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ, नारकोटिक्स, अतिक्रमण, आतंकी वित्तपोषण और सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसने की हिदायत दी**

(बीएसएफ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य सरकार को इसके लिए समन्वित सीमा प्रबंधन रणनीति अपनाने के लिए कहा। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर व फलोदी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बैठक में प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार

करने का निर्णय हुआ। अमित शाह ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों में पूर्ण कानूनी एवं वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करें, उनके फंडिंग स्रोतों की जांच करें, म्यूल खातों एवं शेल कंपनियों को ट्रेक करें, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करें तथा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें। सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत संचेयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

हाईकोर्ट ने आसाराम की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

आसाराम को तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिए

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अपने ही आग्रह की नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। बुधवार को जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आसाराम समेत तीन आरोपियों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत ने उन्हें गैरपेश की धारा से बरी कर दिया, लेकिन अन्य गंभीर आरोपों में दोषीसिद्ध कायम रखी गई है। साथ ही कोर्ट ने आसाराम बापू को तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

आसाराम की यौन शोषण मामले में प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट

■ **राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सेवादार शरतचंद्र और शिल्पी को पूरी तरह से आरोप मुक्त किया**

में दायर अपील पर बुधवार को फैसला आया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में आसाराम को पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं किया है। उनकी सजा खत्म करने की अपील खारिज हुई है, लेकिन पाँक्सो एक्ट की गैर जमानती अपराध, आईपीसी की गैरपेश और श्दयंत्र कर अपराध करने से जुड़ी धाराओं में दोषी नहीं माना है। खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, पाँक्सो की यौन शोषण और जेजे एक्ट सहित अन्य धाराओं को लेकर लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सही

ठहराया है, यानी सजा बरकरार रहेगी। खंडपीठ ने आसाराम बापू के सेवादार शरतचंद्र और शिल्पी को पूरी तरह से आरोप मुक्त कर दिया है।

इस मामले में पीड़िता के अधिवक्ता पीसी सोलंकी ने बताया कि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। आजीवन कारावास की सजा बरकरार है, राहत जरूर दी है। सोलंकी ने बताया कि बरी किए गए आरोपियों के आदेश के खिलाफ पीड़िता से बात कर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस फैसले के बाद आसाराम को अब जेल में सरेंडर करना होगा।

आसाराम फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतिम जमानत के तहत जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से राहत दी थी, जिसकी अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब उन्हें दोबारा सरेंडर करना होगा।

लूणकरणसर में दिन का तापमान 45 डिग्री पहुंचा

बाजारों में पसरा सन्नाटा, डॉक्टर्स ने धूप से बचने की सलाह दी

लूणकरणसर, (निसं)। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बुधवार को लूणकरणसर का न्यूनतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई।

तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को जहां 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, वहीं बुधवार को इसमें एक डिग्री की और वृद्धि हुई। बुधवार को हवा की रफ्तार करीब 24 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, लेकिन गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को राहत देने के बजाय और अधिक परेशान किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर के समय सड़कों पर मिनी कर्फ्यू जैसा सन्नाटा

दिखाई दिया। शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त इलाकों में भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखा गया। आम दिनों में लोगों और वाहनों से गुलजार रहने वाला हनुमान मंदिर रोड लगभग खाली नजर आया। रोझा चौराहा, चाटा बाजार, अनाज मंडी रोड, इंदिरा मार्केट और कालू रोड समेत अन्य बाजारों में भी भीड़ बेहद कम रही। तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग पूरी तरह सतर्क दिखाई दिए। कई लोग चेहरे पर साफा बांधकर निकले, तो कुछ ने मास्क और सूती कपड़ों का सहारा लिया। दोपहरिया वाहनों पर यात्रा करते समय लोग खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढककर सफर करते दिखे। डॉक्टर्स ने लोगों को धूप में कम निकलने, अधिक पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है।

अलवर के रैणी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई

अलवर, (निसं)। अलवर जिले में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रैणी थाना इलाके में पुलिस की स्पेशल टीम ने करवाई करते हुए बजरी के अवैध खनन में लगी 6 जेसीबी, 5 पोकेलेन मशीनें और 25 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया। बुधवार को पुलिस ने रैणी थाना इलाके में माफियाओं के ठिकानों पर अचानक दबिश दी। पुलिस की इस ताबड़तोड़ और अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। एएसपी सुधीर चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। इस टीम का नेतृत्व ट्रेनी

■ **6 जेसीबी, 5 पोकेलेन और 25 ट्रैक्टर जब्त खनन विभाग और राजस्व विभाग की टीमों को भी मौके पर बुलाया**

आईपीएस कार्तिकेय वर्मा कर रहे थे। आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के सुपरविजन में रैणी थानाधिकारी और उनकी पुलिस टीम ने पूरी योजना के साथ रैणी थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों और बजरी की अवैध खानों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस टीम को देखकर मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान अवैध बजरी खनन और ढोने में

इस्तेमाल हो रही भारी मात्रा में मशीनों को अपने कब्जे में ले लिया। मौके से जेसीबी मशीनें, बड़ी पोकेलेन मशीनें और कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया गया। जब्त की गई इन सभी गाड़ियों और मशीनों को पुलिस थाने लाया गया है, जहां इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ गाड़ियों की जबती अलवर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। कार्रवाई को पूरी तरह पुख्ता बनाने और मौके को सही पैमाइश के लिए पुलिस ने तुरंत ही खनन विभाग और राजस्व विभाग की टीमों को भी मौके पर बुला लिया। तीनों विभागों की टीमों ने मिलकर अवैध खनन क्षेत्र की जांच शुरू कर दी है।

बीकानेर : मूंगफली की प्रोसेसिंग यूनिटों पर कृषि विभाग की रेड

कई फर्मा में भारी अनियमितताएं मिलीं, टीमों ने मूंगफली बीज के नमूने लेकर विक्रय पर रोक लगाई

बीकानेर, (निसं)। कृषि एवं उद्योगिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर विभाग की 10 संयुक्त टीमों ने जिले की 10 मूंगफली फर्मों पर औचक छापेमारी की। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बीकानेर की मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिटें बिना वैध बीज लाइसेंस के ही मूंगफली दाने को बीज बताकर किसानों को बेच रही हैं। कार्रवाई के दौरान कई फर्मों में भारी अनियमितताएं मिलीं, जिसके बाद टीमों ने मूंगफली बीज के नमूने (सैंपल) आहरित कर उनके विक्रय पर तुरंत रोक लगा दी है।

■ **लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बीकानेर की मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिटें बिना वैध बीज लाइसेंस के ही मूंगफली दाने को बीज बताकर किसानों को बेच रही हैं**

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) मदनलाल ने बताया कि नेशनल सीड्स, सुप्रीम, चारयुजा एग्री इंस्ट्रूट्रीज, जिंदल एग्री इंस्ट्रूट्रीज, बीकानेर फूड्स, जेडी इंस्ट्रूट्रीज, आदर्श सीड्स, तिरुपति उद्योग, चारयुजा एग्री शोभास और वैभव लक्ष्मी फर्मों पर जांच कर 'सीड्स कंट्रोल ऑर्डर' व बीज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

टीम में उपनिदेशक जयदीप दोगने, सहायक निदेशक सुरेंद्र मारु, मुकेश गहलोत सहित सुभाष विश्वा, राजाराम डोगीवाल, रघुवर दयाल, मोनाक्ष शर्मा, रमेश भाष्मू, कविता गुप्ता, गिरिराज चारण, सोमेश तंवर, संगीता मेहता, महेंद्र विश्वा, मेघराज बंजारा, मामराज मेघवाल, कन्हैयालाल शामिल रहे।

वांछित आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने तथा सरकारी वाहन को टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी ईन्द्राज पुत्र श्रीराम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 9 सितंबर 2024 को सूचना मिली थी कि थाना उदयपुरवाटी क्षेत्र के ककराणा इलाके से एक युवक का अपहरण कर काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ लोग खेतड़ी

की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने अजीत अस्पताल के सामने नाकाबंदी शुरू की। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो तेज गति से मौके पर पहुंची।

पुलिस टीम ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास में स्कॉर्पियो चालक ने डायल-112 वाहन को सामने से टक्कर मार दी।

आग से पांच ट्रॉली चारा जला

टोंक, (निसं)। चोर करबे की बैरवा ढाणी वार्ड नंबर 11 में बुधवार सुबह एक बाढ़े में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से पशुओं के लिए रखा करीब पांच ट्रॉली सूखा चारा जलकर राख हो गया। साथ ही पास के बाढ़े में रखी लकड़ियां और कंड़े भी जल गए, इसके अलावा करीब आधा दर्जन पेड़-पौधे आग में जल गए। इससे पीड़ित मांगीलाल करसोलाया पुत्र प्रभु करसोलाया को करीब 40-45 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित मांगी लाल ने बताया कि शहीद बाबा के मकान के पीछे बने उसके बाढ़े में बुधवार को अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई।

सिद्धमुख थाने के पुलिसकर्मियों पर महिला से बदतमीजी का आरोप

तारानगर, (निसं)। चुरू जिले के सिद्धमुख थाना अंतर्गत गांव दयावठ में पुलिसकर्मियों द्वारा घर में घुसकर महिला से बदतमीजी और अनुचित व्यवहार का मामला सामने आया है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने इस घटना को लेकर राजस्थान पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

विधायक बुडानिया द्वारा डीजीपी को दिए पत्र के अनुसार सिद्धमुख थाने के कुछ पुलिसकर्मियों प्राइवेट बैंक के कार्मिकों के साथ गांव दयावठ निवासी

किसान बलवान के घर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने घर की मुखिया महिला के साथ बदतमीजी व अनुचित व्यवहार किया एवं पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला को जबरन घसीटकर पुलिस वाहन में डालने का अमानवीय कृत्य किया, जो विधि के पूर्णत: विरुद्ध है। प्राइवेट बैंक के कार्मिकों ने पुलिस की आड़ लेकर किसान के पशुओं एवं छोटे-छोटे बछड़ों को 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में घर से बाहर निकाल दिया, जिससे पशुओं के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। विधायक नरेंद्र बुडानिया ने पत्र में लिखा है कि इस अत्यंत निंदनीय घटना

से पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। आमजन में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है। विधायक बुडानिया ने दोषी पुलिसकर्मियों तथा इसमें शामिल प्राइवेट बैंक के कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान की करने की मांग की है जिससे आमजन में पुलिस के प्रति सख्त एवं विश्वास के रूप में भिन्नता है। विधायक ने डीजीपी से त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही कर न्याय दिलाने की अपील की है।

भरतपुर में 142 माँडिफाइड साइलेंसरों को बुलडोजर से तोड़ा

भरतपुर, (निसं)। शहर में तेज आवाज और पटाखे जैसी ध्वनि निकालने वाले माँडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए 142 साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट कर



यातायात पुलिस ने जब्त किए साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट कराया।

■ **कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने लोगों से माँडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की**

दिया। कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने लोगों से ऐसे माँडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की।

असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की गई, जो अपनी मोटरसाइकिलों में अवैध और माँडिफाइड साइलेंसर लगाकर आमजन को परेशानी पहुंचा रहे थे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत

जब्त किए गए सभी साइलेंसरों को बुधवार को बुलडोजर के जरिए नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में कुल 142 माँडिफाइड साइलेंसर लगाकर आमजन को परेशानी पहुंचा रहे थे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत

लगातार जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे वाहनों में पटाखा साइलेंसर या अन्य अवैध माँडिफिकेशन न कराएं, ताकि लोगों को असुविधा और ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके।